



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 511]  
No. 511]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 1998/पौष 7, 1920  
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 1998/PAUSA 7, 1920

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1998

सा.का.नि. 772 (अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं

इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) "अपमिश्रण" से मोटर स्पिरिट/उच्च वेग डीजल में अवैध रूप में या अप्राधिकृत रूप से किसी बाह्य पदार्थ का मिलाना अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप वह उत्पाद अनुसूची I में उपदर्शित उत्पाद की अपेक्षाओं और विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है;
- (ख) "उपभोक्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सीधे किसी तेल कंपनी से उत्पाद क्रय करता है और उत्पादों का भंडार और उनके उपयोजन अपने स्वयं के उपभोग के लिए करता है और इसके अन्तर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अभिकर्ता भी हैं;
- (ग) "व्यौहारी" से मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल तेल का क्रय, ग्रहण, भंडार और विक्रय करने के लिए चाहे वह किसी अन्य कारबार के सहयोजन में हो अथवा नहीं। किसी तेल कंपनी द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अन्य अभिकर्ता भी हैं;
- (घ) "उच्च वेग डीजल" से कोई हाइड्रोकार्बन तेल (जिसके अन्तर्गत खनिज कोल्फा तेल और तारपीन अनुकल्प नहीं हैं) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश सं. आई एस 1460 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और संपीड़न प्वलन इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है;

(ङ) "अनाचार" के अन्तर्गत मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल की बाबत करने और लोप करने के निम्नलिखित कार्य होंगे :

- (i) अपमिश्रण,
  - (ii) भूषण,
  - (iii) स्टाक अन्तर,
  - (iv) अप्राधिकृत विनिमय,
  - (v) अप्राधिकृत क्रय,
  - (vi) अप्राधिकृत विक्रय,
  - (vii) अप्राधिकृत कब्जा,
  - (viii) अतिप्रभार,
  - (ix) विनिर्देशगत उत्पादों का विक्रय;
- (च) "मोटर स्पिरिट" से ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन तेल (जिसके अन्तर्गत कच्चा खनिज तेल नहीं है) अभिप्रेत है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश सं. आई एस 2796 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और जो स्फुलिंग प्रण्वलन इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है;
- (छ) "तेल कंपनी" से केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी अभिप्रेत है जो उपभोक्ता या व्यौहारी को मोटर स्पिरिट या उच्च वेग डीजल के विक्रय में लगी हुई है;
- (ज) "पेट्रोलियम" का वहीं अर्थ होगा जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 में है;
- (झ) "भूषण" से उत्पाद के परिवहन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी आधान से या उत्पाद के भंडारण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी पात्र से उत्पाद का चुराना या चुराने का प्रयत्न करना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा आधान/पात्र को बिगाड़ने को कोई अप्राधिकृत प्रयत्न या कार्य भी है;
- (ञ) "उत्पाद" से मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल तेल अभिप्रेत है;
- (ट) "स्टाक अन्तर" से अनुसूची 2 में दिए गए स्टाकों में अनुज्ञेय अन्तर के लिए सन्नियमों से परे अन्तर अभिप्रेत है;
- (ठ) "परिवहन" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी तेल कंपनी, किसी व्यौहारी या किसी उपभोक्ता द्वारा मोटर स्पिरिट या उच्च वेग डीजल तेल का परिवहन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और इसके अन्तर्गत उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अभिकर्ता भी है;
- (ड) "अप्राधिकृत विनिमय" से राज्य सरकार या तेल कम्पनियों द्वारा जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन से किसी व्यौहारी या उपभोक्ता से किसी अन्य व्यौहारी या उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति को उत्पादों का अन्तरण या प्राप्ति अभिप्रेत है;
- (ढ) "अप्राधिकृत क्रय" से तेल कम्पनियों द्वारा प्राधिकृत स्रोतों से भिन्न स्रोतों से उत्पादों का क्रय अभिप्रेत है;
- (ण) "अप्राधिकृत विक्रय" से राज्य सरकार या तेल कम्पनियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन में या इस आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी व्यौहारी या उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य व्यौहारी या उपभोक्ता को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उत्पादों का विक्रय अभिप्रेत है;
- (त) "अप्राधिकृत कब्जा" से इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में मोहर स्पिरिट या उच्च वेग डीजल का रखना या संबंधित तेल कम्पनी द्वारा जारी किए गए विधिमाम्य विक्रय दस्तावेजों के बिना व्यौहारी या किसी व्यक्ति के नियन्त्रण के अधीन किसी ऐसे पेट्रोलियम उत्पाद या उसके मिश्रण का रखना, जिसका अपमिश्रण के लिए उपयोग किया जा सकता है, अभिप्रेत है;
- (थ) "अतिप्रभार" से किसी व्यौहारी द्वारा किसी ऐसी "तेल कंपनी" द्वारा जिससे व्यौहारी ने तेल का क्रय किया है, प्राधिकृत से उच्चतर कीमत पर मोटर स्पिरिट या उच्च वेग डीजल का विक्रय करना अभिप्रेत है;
- (द) "विनिर्देशगत उत्पाद का विक्रय" से किसी व्यौहारी द्वारा ऐसी ब्वालिटि का मोटर स्पिरिट या उच्च वेग डीजल का विक्रय करना अभिप्रेत है जो मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का विनिर्देश संख्या आई एस 2796 और आई एस 1460 के अनुरूप नहीं है या अनुसूची I के अनुरूप भी नहीं है ।

## 3. उत्पाद का प्रदाय और परिवहन—

- (i) प्रदाय स्थान से उत्पाद का परिवहन परिवहक द्वारा ऐसे किसी आघान या टैंक ट्रक में किया जाएगा जिसे माप और वजन प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित और परिदान दस्तावेजों द्वारा समर्थित शुद्ध अंश-शोधन सहित उत्पाद ले जाने के लिए संबद्ध प्राधिकारियों (विस्फोटक और परिवहन प्राधिकारी तथा तेल कम्पनी) द्वारा उचित प्रमाणित किया गया है और उसे भंडारण या वितरण स्थान पर क्वालिटी और मात्रा दोनों की बाबत वैसी ही अवस्था में परिदत्त करेगा जो उसे मूल प्रदाय स्थान से परिदत्त किए गए थे ।
- (ii) परिवहक यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पाद का परिवहन केवल ऐसे आघानों या टैंक ट्रकों में किया जाएगा, जो समुचित रूप से सील बंद किए गए हों ।
- (iii) व्यौहारी/उपभोक्ता ऐसे आघान या टैंक ट्रकों का जिनमें वह उत्पाद प्राप्त करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करेगा,—
- (क) कि ऐसे आघानों/या टैंक ट्रक में जिसके अंतर्गत सीलें हैं, किसी भी रूप में कोई गड़बड़ नहीं की गई है;
- (ख) कि उत्पादों की मात्रा और क्वालिटी तेल कम्पनियों द्वारा जारी किए गए परिदान दस्तावेजों के अनुसार है और उत्पाद की क्वालिटी अनुसूची I में उपदर्शित अपेक्षाओं के अनुसार है । इस प्रयोजन के लिए व्यौहारी/उपभोक्ता अनुसूची I में उपदर्शित रूप में घनत्वों का एक अभिलेख बनाए रखेगा और उत्पाद का नमूना रखेगा या ऐसे अन्य उपाय करेगा जो विहित किए जाएं;
- (iv) व्यौहारी या तेल कम्पनी से भिन्न कोई व्यक्ति या उनका अभिकर्ता, अंतर्भोग भण्डारण टैंक से उत्पाद के विक्रय में नहीं लगेगा ।
- (v) कोई व्यक्ति, अनुसूची I में यथा विनिर्दिष्ट मोटर स्पिरिट या उच्च वेग डीजल से भिन्न कोई ऐसे पेट्रोलियम उत्पाद या उसका मिश्रण, किसी रूप में; किसी नाम, ब्रांड या नाम पद्धति के अधीन विक्रय या विक्रय का करार नहीं करेगा जो स्फुरितिंग प्रण्वलन इंजनों या संपीडन प्रण्वलन इंजनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या उसके लिए आशयित है ।
- (vi) कोई व्यौहारी, परिवहक, उपभोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी रीति में पूर्वोक्त खंड 2 (ड) में सूचीबद्ध कोई अनाचार नहीं करेगा ।
- (vii) मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल तेल का परिदान या विक्रय तेल कंपनियों के व्यौहारियों द्वारा केवल प्राधिकृत फुटकर पम्प निकास केन्द्रों से किया जाएगा ।

## 4. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति

(क) यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी या पुलिस उप-अधीक्षक (डी एस पी) की पंक्ति से अन्यून का कोई पुलिस अधिकारी अथवा विक्रय अधिकारी से अन्यून की पंक्ति का संबंधित तेल कंपनी का कोई अधिकारी, इस आदेश के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के विचार से या स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि इस आदेश या तद्धीन किए गए किसी आदेश का पालन किया गया है—

- (i) किसी स्थान या परिसरों में प्रवेश और तलाशी ले सकेगा जिनका किसी व्यौहारी, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो ऐसे व्यौहारी/परिवहनकर्ता/उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति का कर्मचारी या अभिकर्ता है, उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किए जाने की आशंका है, जिसकी बाबत यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उपबंधों का उलंघन किया गया है/किया जा रहा है या उलंघन किया जाने वाला है ।
- (ii) किसी व्यक्ति या यान अथवा पात्र को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जिसका उत्पाद के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है ।
- (iii) किसी व्यौहारी, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के कारबार में उपयोग किए जाने वाले उत्पाद की लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों अथवा किसी स्टॉक का निरीक्षण कर सकेगा जिनकी किसी व्यौहारी, परिवहनकर्ता या उपभोक्ता का कर्मचारी या अभिकर्ता होने की आशंका है ।

(iv) ऐसे उत्पाद के नमून और/या उत्पाद के किसी स्टॉक को अभिग्रहण कर सकेगा, जिसके बारे में किसी अधिकारी का विश्वास करने का यह कारण है कि इस आदेश का उलंघन किया गया है या उलंघन किया जा रहा है अथवा उलंघन किया जाने वाला है और तत्पश्चात् वह ऐसे स्टॉक/मदों को इस प्रकार अभिग्रहण करने के पश्चात् अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर के समक्ष, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अधीन पेश किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए और इस प्रकार पेश करने के लंबित रहने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

(ख) प्राधिकृत अधिकारी, खंड (क)(iv) के अधीन उपबंधित अभिग्रहण करने की शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसा करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा और उसकी एक प्रति, व्यौहारी, परिवहनकर्ता, उपभोक्ता या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को देगा।

(ग) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध यथाशक्य इस आदेश के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

#### 5. उत्पाद का नमूना तैयार करना—

(1) खंड 4 में प्राधिकृत अधिकारी यह जांच करने के लिए कि उत्पाद का घनत्व और/या अन्य परिमितियां अनुसूची 1 में उपदर्शित अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, यथास्थिति टैंक, नोजल, घान या पात्र से नमूना लेगा।

(2) खंड 4 में प्राधिकृत अधिकारी, प्रत्येक मोटर स्पिंट के एक लीटर के छः नमूने या प्रत्येक उच्च गति डीजल के एक लीटर के तीन नमूने, मोटर स्पिंट (उच्च गति डीजल का एक) के दो नमूने लेगा, उन पर हस्ताक्षर करेगा और उन्हें सीलबंद करेगा और व्यौहारी या परिवहनकर्ता अथवा संबंधित व्यक्ति को, उनके परीक्षण या अन्वेषण पूरे होने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा में नमूने को परिरक्षित रखने के अनुदेश सहित पावती देगा तथा एम एस (और/या एच एस डी का एक) के दो नमूने, संबंधित कंपनी या विभाग द्वारा रखे जाएंगे और एम एस (और/या एच एस डी का एक) के बाकी दो नमूनों का उपयोग प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए किया जाएगा।

(3) नमूनों को स्वच्छ गिलास या अलुमिनियम के आधानों में लिया जाएगा। नमूनों को लेने के लिए प्लास्टिक आधानों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(4) नमूने के लेबल को उस अधिकारी द्वारा जिसने नमूना लिया है, और व्यौहारी या परिवहनकर्ता या संबंधित व्यक्ति अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और लेबल पर उत्पाद की बाबत, रिटेल आउट-लेट का नाम, नमूने की मात्रा, तारीख अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर, व्यौहारी या परिवहनकर्ता या संबंधित व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर की बाबत जानकारी होगी।

(5) प्राधिकृत अधिकारी, उपखंड (2) के अधीन लिए गए उत्पाद के नमूने को, इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची 3 में उल्लिखित किसी प्रयोगशाला को, या ऐसी अन्य प्रयोगशाला को, जो सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाए, यह जांच करने के विचार से कि उत्पाद का घनत्व और/या अन्य परिमितियां, अनुसूची 1 में उपदर्शित अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, विश्लेषण के लिए दस दिन के भीतर भेजेगा।

#### 6. केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति—

केन्द्रीय सरकार समय-समय पर, किसी व्यौहारी, परिवहनकर्ता या उपभोक्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह मोटर स्पिंट या उच्च गति डीजल के भंडारण, विक्रय, परिवहन और व्ययन के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसे निदेशों के जारी होने पर, ऐसे व्यौहारी, परिवहनकर्ता या उपभोक्ता या उनका पालन करने के लिए आबद्ध होंगे।

#### 7. आदेश के उपबंध का राज्य सरकारों आदि के पूर्व आदेशों पर अभिभावी होना—

इस आदेश के उपबंधों का, इसके प्रारंभ से पूर्व किसी राज्य सरकार द्वारा या ऐसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी, केवल उन बातों के सिवाय जिन्हें इस प्रकार प्रारंभ होने के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रभाव होगा।

#### 8. निरसन और व्यावृत्ति

(1) मोटर स्पिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण में अनाचार निवारण) आदेश, 1990 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी मोटर स्पिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण में अनाचार निवारण) आदेश, 1990 के तहत कुछ किए गए अथवा कोई कार्रवाई, जहां तक यह इस आदेश के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, इस आदेश के तदनुसूची प्रावधानों के तहत किया गया माना गया या की गई मान ली जाएगी।

[फा. सं. पी-11013/1/97-वितरण]

देवी दयाल, अपर सचिव

आई एस 2796 : 1995

## अनुसूची-1

§ धारा 2क § देखें §

तालिका 1: मोटर गैसोलीन से संबंधित जरूरतें

§ धारा 4.1.1, 4.3 तथा 4.4.1 §

क्र.सं.	विशेषतायें	जरूरतें			परीक्षण का तरीका	संदर्भ ले
		87 आक्टेन सीसाराहित	87 आक्टेन सीसायुक्त	93 आक्टेन सीसायुक्त		
§ 1 §	§ 2 §	§ 3 §	§ 4 §	§ 5 §	§ 6 §	§ 7 §
1 §	रंग दृश्य	रंग विहीन	नारंगी	लाल	-	-
2 §	50 डिग्री सेटीग्रेड पर 3 रच के संबंध में कोपर स्ट्रिप कोरोजन	-----सं० 1 से अधिक नहीं-----			§ पी:15 §	-
3 §	50 डिग्री सेटीग्रेड पर घनत्व, कि.ग्रा./रच <sup>3</sup>	--सीमित नहीं लेकिन बताया जाना है--			§ पी:16 §	-
4 §	आसवन				§ पी:18 §	
क §	आरंभिक स्वयंन अंक	--सीमित नहीं लेकिन बताया जाना है--				
ख §	70 डिग्री सेटीग्रेड तक निकासी § 70 §, परिमाण के रूप में प्रतिशत	10-45	10-45	10-45		
ग §	100 डिग्री सेटीग्रेड तक निकासी § 100 §, परिमाण के रूप में प्रतिशत	40-70	40-70	40-70		
घ §	180 डिग्री सेटीग्रेड तक निकासी § 180 §, परिमाण के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	90	90	90		
ङ §	अंतिम स्वयंन अंक, अधिकतम	215 डिग्री सेटीग्रेड	215 डिग्री सेटीग्रेड	215 डिग्री सेटीग्रेड		
च §	अक्षोप, परिमाण के रूप में प्रतिशत, अधिकतम	2	2	2		
5 §	आक्टेन जरूरतें:					
क §	रिसर्व आक्टेन नंबर, न्यूनतम अथवा	87	87	93	§ पी:27 §	-
ख §	स्टी-नोक सूचकांक § आरओएन+रचओएन § /2 न्यूनतम	82	82	88	§ पी:26 § और § पी:27 §	-
	पोटेन्शियल गम <sup>1</sup> , जी/रच <sup>3</sup> , अधिकतम	50	50	50	-	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7।	इगजिस्ट्रेट गम, जी/एम <sup>3</sup> , अधिकतम	40	40	40	।पी:29।।रजर जेट सोलवेंट वापड।	-
8।x	गंधक, कुल, मात्रा के रूप में प्रतिशत, अधिकतम	0-20	0-20	0-20	।पी:34।	-
9।	सीसा और।पीबी के रूप में। <sup>3</sup> जी/।, अधिकतम	0-0।3	0-56	0-80	।पी:38। <sup>4</sup> अथवा ।पी:82।	-
10।	38 डिग्री सेटीग्रेड पर बहिष्कृत वाष्प दबाव,।आरबीपी। केपीर	35-70	35-70	35-70	।पी:39। <sup>5</sup>	-
11।	गैसोलिन-अल्कोहल सॉल्वेंटों की जल सहनशक्ति-फेज घुलन के लिए ताप 0" सेटीग्रेड, अधिकतम					अनुबंध ख
	क। ग्रीम <sup>6</sup>	10	10	10		
	स। शरद <sup>7</sup>	0	0	0		
12।	वाष्प ताक सूचकांक।वीरलआई। ।वीरलआई-।0आरबीपी+7।70।, अधिकतम					
	क। ग्रीम <sup>6</sup>	750	750	750		
	स। अन्य महीने	950	950	950		
1	केवल रिफाइनरी पर किया जाना है तथा परीक्षण सीमा बहुक्रियात्मक योगजों, यदि उपयोग में लाने में त्रुटि के संयोजन से पहले के उत्पादों के विषय में है, तथापि बहुक्रियात्मक योगजों का उपयोग निर्माता को योगजों के संयोजन से पूर्व के उत्पादों के विषय में इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए छूट नहीं देता है।					
2	तैयारी तहत। ऐसे समय तक ए एस टी एम डी/873-88।4 घंटा अवधि। का अनुसरण किया जाएगा। गैसोलिन पर यह परीक्षण बहुक्रियात्मक डिटर्जेंट/डिस्पर्जेंट योगजों के संयोजन से पहले किया जाएगा क्योंकि यह परीक्षण में बाधा डाल सकते हैं।					
3	सीसा और को सरकारी निर्देशों, जैसे डी कमी अधिसूचित किए जाते हैं, के अनुसार चरणबद्ध रूप से कम किया जाएगा तथा सीसा जरूरत अनुसार लागू होगी।					
4	सीसा रहित गैसोलिन के संबंध में परीक्षण पदति ए एस टी एम डी 5058/आई पी 352 का अनुसरण किया जाएगा।					
5	गैसोलिन-अल्कोहल सॉल्वेंटों के संबंध में अनुबंध "क" में दी गई शुष्क वाष्प परीक्षण पदति का अनुसरण किया जाएगा।					
6	भारत के मध्य एवं उत्तरी मैदानी भागों में मई से जुलाई तक।					
7	शरद ऋतु में यह अज्ञा की जाती है कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में तापमान जीरो डिग्री सेटीग्रेड से अपेक्षाकृत कम हो सकता है अतः 10 डिग्री सेटीग्रेड तापमान तक फेज घुलन नहीं होगा।					

संशोधन सं० 1 मार्च, 1997 से \_\_\_\_\_ तक आई एस 2796:1995 मोटर गैसोलिन - विनिर्देश  
।द्वितीय संशोधन।

x।पृष्ठ 3, तालिका 1, क्रम सं०।8।, कालम 3।-"0-20" के लिए "0-15" प्रतिस्थापित करें।

आई एच 1468: 1995

तालिका 1. ईंधन ईंधनों के लिए अपेक्षारें  
§ धारा 4.2 §

क्र.सं.	विवरण	अपेक्षारें एच एच डी	परीक्षण का तरीका निम्न को संदर्भित
§ 1 §	§ 2 §	§ 3 §	§ 4 §
1.	एन्डोट, अकार्बनिक	शून्य	पी:2
2.	एन्डोट, कुल, के ओ एच/ग्रा. का मि.ग्रा. अधि.	0.30	पी:2
3.	राश, इव्यमान द्वारा प्रतिशत, अधि.	0.30	पी:4
4.	10 प्रतिशत अवशेष पर कार्बन अवशेष; रेसिडुम, इव्यमान द्वारा प्रतिशत, अधिकतम	0.35 <sup>1</sup> §	पी:8
5.	सीटेन संख्या <sup>2</sup> §, न्यून.	45 <sup>8</sup>	पी:9
6.	पोर प्वाइंट <sup>3</sup> § अधि.	सर्वी के लिए 6 <sup>0</sup> सा और गर्मी के लिए 18 <sup>0</sup> सा <sup>4</sup>	पी:10
7.	100 <sup>0</sup> सा पर 3 घंटे के लिए तांबा स्ट्रिप से क्षारण	संख्या 1 से कम नहीं	पी:15
8.	आसवन, <sup>0</sup> सा पर 90 प्रतिशत वाक्युम रिफ्लरी, अधि.	366	पी:18
9.	फ्लेश प्वाइंट <sup>5</sup> § क § स्वेल, <sup>0</sup> सा, न्यून ख § पेन्सकी - मार्टेन्स, <sup>0</sup> सा, न्यून	32 -	पी:20 पी:21
10.	काइनमेटिक विस्कोसिटी, सा एच टी, 40 <sup>0</sup> सा पर	1.8 से 5.0	पी:25
11.	तलछट, इव्यमान द्वारा प्रतिशत, अधि.	0.05	पी:30
12.	15 <sup>0</sup> सा पर घनत्व, कि.ग्रा./एम <sup>2</sup>	820-880	पी:32
13.	कुल गंधक <sup>6</sup> § इव्यमान द्वारा प्रतिशत, अधि.	1.0	पी:33
14.	जल मात्रा, वाक्युम द्वारा प्रतिशत, अधि.	0.05	पी:40
15.	कोल्ड फिल्टर प्लगिंग प्वाइंट § सा एफ पी पी <sup>2</sup> § अधि.	सर्वी के लिए 9 <sup>0</sup> सा और गर्मी के लिए 21 <sup>0</sup> सा <sup>4</sup> §	पी:110
16.	कुल तलछट, मि.ग्रा. प्रति 100 मि.ली <sup>7</sup> §, अधिकतम	1.6	

1. यह सीमा सीटोन नम्बर ईपूवर्स का वृद्धि से पहले लागू है, यदि इनका प्रयोग किया जाता है। यदि बाजार में तैयार ईंधनों पर सीमा से अधिक का कोई मूल्य प्राप्त किया जाता है, तो सीटोन नम्बर ईपूवर्स वाले नाइट्रेट की उपस्थिति सिद्ध करने के लिए ए एस टी एम का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कार्बन अवशोष के लिए वर्तमान सीमा लागू नहीं की जा सकती। तथापि सीटोन नम्बर ईपूवर्स के उपयोग से विनिर्माता को योगजों का वृद्धि से पहले इस अपेक्षा को पूरा करने से छूट नहीं मिल जाती।
2. जब एक परीक्षण इंजन उपलब्ध न हो अथवा जब नमूने की मात्रा बहुत कम हो, तब "चार चक्र समीकरण द्वारा आकलित सीटोन इंडेक्स" इंजन श्रेणीकरण के लिए सीटोन नम्बर के अनुमान हेतु ए एस टी एम 4737A का प्रयोग किया जा सकता है। इस पदांत द्वारा "आकलित सीटोन इंडेक्स" के पूर्वानुमान में गलती 32 से 56 के बीच की सीटोन संख्या वाले ईंधनों के लिए सीटोन संख्या  $\pm 2$  से कम नहीं होगी। यह उल्लेखनीय है कि यह पदांत शुद्ध डाइइकोकार्बनो अथवा सीटोन ईपूवर्स वाले ईंधनों अथवा कोयले से निकाले गए ईंधनों पर लागू नहीं है। माध्यस्थ उद्देश्यों के लिए मानकीकृत इंजन परीक्षण के माध्यम से सीटोन संख्या का प्रत्यक्ष निर्धारण का प्रयोग किया जाए अगर क्रेता और विक्रेता अन्यथा सहमत न हों।
3. सारादार और प्रदायक के बीच करार के अधीन विशेष अनुप्रयोगों और भौगोलिक क्षेत्रों के लिए एक निम्नतर अथवा उच्चतर अधिकतम पोर प्वाइंट और सी एफ पी पी की आवश्यकता हो सकती है।
4. नवम्बर से फरवरी दोनों महीने शामिल हैं। तक का अर्वाध सर्वा होगा और वर्ष के शेष महीनों को गर्मी कहा जाएगा।
5. भर्सेन्ट नेवा साइत नोसेना अनुप्रयोगों और 12 मीटर और इससे लम्बे मात्सयक जहाजों के लिए डीजल ईंधन का फ्लैश प्वाइंट, अर्हू एस 1448 (पी:2।।:1970 में निर्धारित पदांत द्वारा परीक्षा किए जाने पर 66<sup>0</sup> से न्यूनतम होगा।
6. एच एस डी के लिए गंधक मात्रा निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार स्वतः संशोधित हो जाएगी। यद्यपि तेल कंपनियों द्वारा गंधक का मात्रा इव्यमान द्वारा 1.0 प्रतिशत से नीचे रखने के प्रयास 1998 से भी पहले किए जाएंगे:
- |   | 1998 | 2000 |
|---|------|------|
| कुल गंधक मात्रा, इव्यमान द्वारा प्रतिशत, अधि- | 0.50 | 0.25 |
7. परीक्षण केवल रिफाइनरी अथवा विनिर्माता की ओर से किया जाएगा और इस परीक्षण के लिए सीमा का तात्पर्य मल्टी-फंक्शनल योगजों को मिलाने से पहले उत्पादों के लिए है, यदि इनका प्रयोग किया जाता है। तथापि, मल्टी-फंक्शनल योगजों का उपयोग विनिर्माता को योगज मिलाने से पहले इस अपेक्षा को पूरा करने से छूट प्रदान नहीं करता है।



आई एस 1460: 1995 डीजल ईंधन - बिबोनेवेरा

में

संशोधन संख्या 1 मार्च, 1997

॥तासरा संशोधन॥

॥पृष्ठ 1, पारा 2॥ - "॥पी:15॥: 1976" के बाद "॥पी:16॥: 1990 हाइड्रोमीटर पढात द्वारा कूड पेट्रोलियम और तरल पेट्रोलियम उत्पादों का धनत्व" जोड़े।

॥पृष्ठ 3, तालिका 1, फं0 से0 ॥5॥, कातम 3॥- "45" के लिए "45<sup>0</sup>,॥ प्रतिस्थापित करे पाद टिप्पणी "7॥" के बाद निम्न पाद टिप्पणी जोड़े:

"8॥ असम कूड से संसाधित डीजल ईंधन के लिए 42 न्यूनतम का मूल्य 31 दिसम्बर, 1999 तक लागू होगा।"

॥पृष्ठ 3, तालिका 1, पाद टिप्पणी "6॥"॥ - विद्यमान पाद टिप्पणी के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित करे:

"6॥ एच एस डी के लिए कुल गंधक मात्रा निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार स्वतः संशोधित हो जायगी:

- 1॥ 1 अप्रैल, 1996 से दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के चार महानगरीय शहरों और ताज ट्रेपेजियम को आपूर्ति एच एस डी के लिए 0.5 प्रतिशत अधिकतम।
- 2॥ 1 अक्टूबर, 1996 तक ताज ट्रेपेजियम में 0.25 प्रतिशत अधिकतम
- 3॥ 1 अप्रैल, 1999 से पूरे देश में 0.25 प्रतिशत अधिकतम"

॥पृष्ठ 3, तालिका 1 क्रम संख्या ॥13॥, कातम 6॥- "पी:33" के लिए पी:33"१ प्रतिस्थापित करे और नई पाद टिप्पणी "8॥ के बाद निम्नलिखित पाद टिप्पणी जोड़े:

"9॥ आई पी 336 में ही गई परीक्षण पढात की वैकल्पिक पढात के रूप में कुल गंधक के परीक्षण के लिए भी अनुमति दी जा सकती है। तथापि विवाद की स्थिति में आई एस 1448 के पी:33 में ही गई पढात रेफरी पढात होगी।"

॥पृष्ठ 3, तालिका 1, पाद-टिप्पणी "7॥"॥ - विद्यमान के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित करे:

7। परीक्षण केवल रिफाइन्सी अथवा निर्माताओं की ओर से किया जाएगा।

विकल्प के रूप में परीक्षण पढति र रस टी रम डो 2274 का उपयोग किया जा सकता है और ऐसे मामले में कुल आँवलेयो का मान 2.5 मि-ग्रा- प्रति 100 मि-ली- अधिकतम होगा। अनुसरण किए जाने वाले परीक्षण के संबंध में किसी विवाद के मामले में र रस टी रम डो 2274 निर्णायक परीक्षण पढति होगी।

।पूठ 3, तालिका 1, क्रम संख्या 121, कालम 6।- "पी:16<sup>10</sup>। अथवा पी:32 "पी-32" को प्रतिस्थापित करे तथा नई पाठ टिप्पणी के परचात निम्नीकित पाठ टिप्पणी सम्मिलित करे "9":

"10। अनुसरण किए जाने वाले परीक्षण के संबंध में पी:32 निर्णायक परीक्षण पढति होगी।

### अनुसूची - 2

#### । धारा 2(ज) के अन्तर्गत

अनुसूच्य स्टाक अंतराभिन्नता से संबंधित मानकों के अन्तरे

ऐसी स्थिति में जब कि निरीक्षण यह प्रमाणित करता है कि भूमिगत टैंकों में स्टाको अन्तर्गत अंतराभिन्नता टैंक स्टाक के 4 प्रतिशत से अधिक है तो भूमिगत टैंकों अन्तर्गत स्टाको में अंतराभिन्नता सामान्य प्रचालन स्तर से अधिक समझी जाती है।

।।। मोटर स्पीड अन्तर्गत स्वचन/संभाल से संबंधित डानिया निम्नवत् -

0-600 फिलो लीटर की वार्षिक औसत बाँकियो पर 0.75 प्रतिशत।

600 फिलो लीटर से अधिक की वार्षिक औसत बाँकियो पर 0.20 प्रतिशत।

।2। हाई स्पीड डोजल के संबंध में संभाल डानिया निम्नवत् -

0-600 फिलो लीटर की वार्षिक औसत बाँकियो पर 0.25 प्रतिशत।

600 फिलो लीटर से अधिक की वार्षिक औसत बाँकियो पर 0.20 प्रतिशत।

।मोटर स्पीड, हाई स्पीड डोजल से संबंधित संकुचन डानिया तथा हाई स्पीड डोजल के संबंध में तापमान अंतराभिन्नता भत्ता मात्राये, जहाँ कहीं लागू हो, ध्यान में रखा जाएगा।

नोट- मोटर स्पीड अथवा हाई स्पीड डोजल अन्तर्गत अनुसूच्य सामाजो से अधिक अंतराभिन्नता के मामले में, इससे पहले कि इस आदेश के प्रावधानो तहत कोई कार्रवाई की जाए, डालर का स्पष्टीकरण माँगा जाएगा।

## अनुसूची-III

[ देखें धारा 5(5) ]

## पेट्रोलियम उत्पादों के नमूनों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं

## हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि. की प्रयोगशालाएं

1. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, फ्यूल रिफाइनरी डिवीजन प्रयोगशाला, कारीडोर रोड, महल, मुम्बई-400074.
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, ल्यूब रिफाइनरी प्रयोगशाला, कारीडोर रोड, महल, मुम्बई-400074.
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, विशाख रिफाइनरी प्रयोगशाला, पोस्ट बाक्स-50, विशाखापतनम-530001.
4. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मझगांव प्रयोगशाला, हैबंदररोड, मुम्बई-400033.
5. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बजबज प्रयोगशाला, बजबज, 24 परगना, पश्चिम बंगाल-743319.
6. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, 98/99 इलाया मुदाली स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स नं.-1170, वाशरमैन पैट, पोस्ट आफिस, चेन्नई।
7. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, रोहतक रोड, शकूरबस्ती, दिल्ली-110056.
8. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, पोस्ट बाक्स नं.-43, गांधीधाम, कच्छ-370201.
9. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, वास्को टर्मिनल प्रयोगशाला, पोस्ट बाक्स नं.-48, वास्कोडिगामा, गोआ।
10. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, अरनाकूलम टर्मिनल प्रयोगशाला, पोस्ट बाक्स नं.-2611, एर्नाकूलम, कोचीन-682031.
11. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, लोनी टर्मिनल प्रयोगशाला, लोनी कालबोहर, पुणे-412201.
12. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, डी-99, टोटोसी औद्योगिक एरिया, पोस्ट बाक्स नं.-2, वाशी-400703, न्यू मुम्बई।

## इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड

13. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, (विपणन प्रभाग) इलाहाबाद प्रयोगशाला, पोस्ट बाक्स नं.-44, इलाहाबाद-211001.
14. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, अम्बाला प्रयोगशाला, जी टी रोड पाइपलाइन टर्मिनल, अम्बाला छावनी, पिन-133001 (हरियाणा)
15. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, जालंधर प्रयोगशाला, सूखीपिंड, जालंधर शहर-144009.
16. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुगलसराय प्रयोगशाला, मुगलसराय-232101.
17. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, हल्दिया प्रयोगशाला, पोस्ट आफिस हल्दिया रिफाइनरी, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल।
18. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर प्रयोगशाला, अण्डेमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर।
19. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर प्रयोगशाला, बंसावाडी रोड, एम एस नगर, बंगलौर-560033.
20. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, एंटोप हिल प्रयोगशाला, एंटोप हिल, वडाला, मुम्बई-400031.
21. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, शकूरबस्ती प्रयोगशाला, शिवाजी पार्क के सामने, शकूरबस्ती, दिल्ली-110056
22. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली टर्मिनल प्रयोगशाला, गुडगांव रोड, बिजवासन, नई दिल्ली।
23. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता एयरपोर्ट टर्मिनल प्रयोगशाला, (दमदम लैंब), कलकत्ता एयरपोर्ट कलकत्ता-700052.
24. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, कारकपेट प्रयोगशाला, काठियावक्कम हाई रोड, चैन्नई-600021.
25. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, रेलवे कालोनी पोस्ट, अहमदाबाद-380019.
26. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, राजबंघ टर्मिनल प्रयोगशाला, दुर्गापुर-713212.
27. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, सिपारा, पोस्ट परसव, पुनपुन रोड, पटना।

28. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, नियर न्यू जलपाईगुडी स्टेशन पोस्ट-सिलीगुडी-734401.
29. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, गांव पंचपारा, पोस्ट आफिस राधाधारी, जिला हावड़ा।
30. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, पनम्बूर, मंगलौर, पिन-575010.
31. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, विलिंडन आइसलैंड, पोस्ट बाक्स नं.-35, कोचीन-682003.
32. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नैफ्था टर्मिनल प्रोजेक्ट प्रयोगशाला, यूनाईटेड साल्टवर्क्स के सामने, कांडलापोर्ट डाकघर, कांडला (कच्छ)।
33. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, पोस्ट बाक्स नं.-154, वास्कोडिगामा, गोआ-403001.
34. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, मल्कापुरम डाकघर, विशाखापत्तनम-530011.
35. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, टेटिकोरन हारबर प्रोजेक्ट प्रेमिसिस, टेटिकोरन-628004.
36. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, डाकघर अरामापोर, कानपुर-208009.
37. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, 24 परगना, बजबज-743310.
38. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, डाकघर फतेहबाग, औद्योगिक क्षेत्र, सन्नाथ नगर, हैदराबाद-500018.
39. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मथुरा रिफाइनरी प्रयोगशाला, डाकघर, मथुरा रिफाइनरी, मथुरा-231005 (उत्तर प्रदेश)
40. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, बरौनी तेल रिफाइनरी प्रयोगशाला, जिला बेगूसराय-851112, बिहार।
41. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी तेल रिफाइनरी प्रयोगशाला, डाकघर नूनमती, गुवाहाटी-781020, असम।
42. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, गुजरात तेल रिफाइनरी प्रयोगशाला, डाकघर जवाहरनगर, जिला बड़ोदरा-391320
43. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, असम तेल प्रभाग, डिगबोई रिफाइनरी प्रयोगशाला, डाकघर, डिगबोई असम-786171
44. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, सेक्टर-13, फरीदाबाद-121001 हरियाणा
45. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, "पीरमाऊ" ट्राम्पे, मुंबई-400074
46. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, स्नोर ड्राई रोड, तोडियारपैथ, धिस्तोतियूर रोड, चेन्नई-600081
47. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, प्रयोगशाला, पी-68, सीजीआर डायवरसन रोड, पठाड़पुर, कर्नाटक-700043
- 47क इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, भिलाई प्रयोगशाला, रेलवे गुड्स रोड के पास, भिलाई म.प्र.
- 47ख इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल प्रयोगशाला, वीबानगीरी, निशातपुर, भोपाल-462001
- 47ग इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, इन्दिया प्रयोगशाला, डाकघर इन्दिया रिफाइनरी, जिला भिवनापुर, पश्चिम बंगाल
- 47घ इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मिसमारी प्रयोगशाला, जिला बरग, डाकघर मिसमारी, असम
- 47ङ इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर प्रयोगशाला, सांगानेर रथरपोर्ट, जयपुर-302011

## भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की प्रयोगशालाएँ

- 
48. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आर एच डी सेटर, "ए" इस्टेशन, सीवरी, {पूर्व}, मुंबई-400015
49. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, बज-बज इस्टेशन प्रयोगशाला, बज-बज, पी-ओ- बज-बज, पश्चिम बंगाल-743319
50. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, तोडियारपेट इस्टेशन प्रयोगशाला, तोडियारपेट, पी-बी-नं० 1152, चेन्नई-600001
51. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, शकूरबस्ती इस्टेशन प्रयोगशाला, शकूरबस्ती, दिल्ली-110056
52. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, रनकुलम इस्टेशन प्रयोगशाला, पी-बी-नं०-2615, गुड्स रोड रोड, रनकुलम, कोचीन-682031
53. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, कौडला इस्टेशन प्रयोगशाला, पी-बी-नं०-33, पोस्ट गांधीघाम, गुजरात-370201

## आई बी पी कंपनी लिमिटेड की प्रयोगशालाएँ

- 
54. आई बी पी कंपनी लिमिटेड, सीवरी टर्मिनल प्रयोगशाला, मुंबई-400015
55. आई बी पी कंपनी लिमिटेड, आई बी पी डिप्टी प्रयोगशाला, रोडक रोड, शकूरबस्ती, नई दिल्ली-110034
- 55 {क}आईबीपी कंपनी लिमिटेड प्रयोगशाला, 93, एम एस कोआयल स्ट्रीट, नजदीक रोयापुरम ब्रिज, मैसीज गोडाऊन, चेन्नई
- 55 {ख}आईबीपी कंपनी लिमिटेड, कावेरी बसोन मार्केटिंग टर्मिनल, मुट्टम गाँव, मेलावनजोर पी-ओ-नागापट्टनम-611002, नागोर तालुक, नागाई क्यूड-इ-मिलेट जिला, तमिलनाडु
- 55 {ग}आईबीपी कंपनी लिमिटेड, 3, ग्राहम रोड, बज-बज, 24, प रागना {एस} पश्चिम बंगाल

## तेल कंपनियों की चलन्त प्रयोगशालाएँ

- 
56. तेल कंपनियों की चलन्त प्रयोगशालाएँ {आईओसी, बीपीसी, आईबीपी कं० और रचपीसी}

## अन्य रिफाइनरी प्रयोगशालाएँ

- 
57. बोगाईगाँव आयल रिफाइनरी लिमिटेड, रिफाइनरी प्रयोगशाला, पी-ओ- न्यू बोगाईगाँव, जिला-कोकराझार, असम
58. मद्रास रिफाइनरी प्रयोगशाला, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड, मनाली, चेन्नई-600019
59. कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड, रिफाइनरी प्रयोगशाला, पोस्ट अम्बलामुगल, कोचीन-682302

## सरकारी प्रयोगशालाएँ

-----

60. डायरेक्टर आफ रजिस्ट्रारिनेस, नागर विमानन विभाग की प्रयोगशाला, ब्लाक 11/111 पूर्व,  
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
61. नेशनल टेस्ट हाउस, 11/1 जजेज कोर्ट रोड, अलीपुर, कलकत्ता-700027
62. नेशनल फिजीकल प्रयोगशाला, पूसा, नई दिल्ली-110012
62. कॅमिकल टेस्टिंग और एनालिटिकल प्रयोगशाला, उद्योग और वाणिज्य विभाग, तमिलनाडु सरकार,  
ग्वीडी

## रक्षा प्रयोगशालाएँ

-----

63. चीफ कंट्रोलर आफ मैट्रियल्स, कंट्रोलर जनरल आफ स्टोर्स प्रयोगशाला, आईजीएस कानपुर,  
पीबीनो 229, कानपुर
64. इंस्पेक्टर जनरल आफ स्टोर्स प्रयोगशाला {आईजीएसएल} डीजीआई कम्प्लेक्स, मड्रास-600114
65. इंस्पेक्टर जनरल आफ स्टोर्स प्रयोगशाला, डीजीआई कम्प्लेक्स, हैस्टिंग्स, कलकत्ता-700022
66. इंस्पेक्टर जनरल आफ स्टोर्स प्रयोगशाला, डीजीआई कम्प्लेक्स, बिलरोली, मुंबई-400083

## अन्य प्रयोगशालाएँ

-----

67. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून-248005
68. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, ग्वीडी, चेन्नई
69. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, इज ब्लास, नई दिल्ली।
70. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, पोवार्ड, मुंबई।
71. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, बडगपुर।
72. रीजनल रिसर्च प्रयोगशाला, उपयी रोड, हैदराबाद-500007

और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सारी फारेंसिक प्रयोगशालाएँ।

[फा. सं. पी-11013/1/97-वितरण]

देवी दयाल, अपर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## ORDER

New Delhi, the 28th December, 1998

**GSR 772 (E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely :—

**1. Short title and commencement -**

- 1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998.
- 2) It shall come into force on the date of its publication in the official gazette

**2. Definitions.-** In this Order, unless the context otherwise requires,-

- a) "adulteration" means the introduction of any foreign substance into motor spirit/high speed diesel illegally or unauthorisedly with the result that the product does not conform to the requirements and specification of the product indicated in Schedule I.
- b) "consumer" means a person who purchases products directly from an Oil Company and stores and utilises the products for his own consumption and shall include his representatives, employees or agents;
- c) "dealer" means a person appointed by an Oil Company to purchase, receive, store and sell motor spirit and high speed diesel oil whether or not in conjunction with any other business, and shall include his representatives, employees or agents;
- d) "high speed diesel" means any hydrocarbon oil (excluding mineral colza oil and turpentine substitute) which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification No. IS-1460 and is suitable for use as fuel in Compression Ignition Engines;
- e) "malpractices" shall include the following acts of omission and commission in respect of motor spirit and high speed diesel:

- I. adulteration,
- II. pilferage
- III. stock variation,
- IV. unauthorised exchange,
- V. unauthorised purchase,
- VI. unauthorised sale
- VII. Unauthorised possession

## VIII. Over-charging

## IX. Sale of off-specification product;

- f) "motor spirit" means any hydrocarbon oil (excluding crude mineral oil) which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification No. IS-2796 and is suitable for use as fuel in Spark Ignition Engines;
- g) "Oil company" means - any person, firm or company authorised by the Central Government who is engaged in the sale of Motor Spirit or High Speed Diesel to consumers or dealers;
- h) "Petroleum" - shall have the same meaning as assigned to it in the Petroleum Act, 1934.
- i) "pilferage" means stealing or attempt to steal of product from a container used for transportation of the product or from a receptacle used for storage of the product and shall include any unauthorised attempt or act of tampering with such container receptacle;
- j) "product" means motor spirit and high speed diesel;
- k) "stock variation" means variation beyond the norms for permissible variation in stocks as given in Schedule II;
- l) "transporter" means a person authorised by an Oil Company, a dealer, or a consumer, to transport motor spirit or high speed diesel oil and shall include his representatives, employees or agents;
- m) "unauthorised exchange" means transfer or receipt of the product from dealer or consumer to another dealer or consumer or to any other persons in contravention of the directives issued by the State Government or Oil Companies;
- n) "unauthorised purchase" means purchase of the products from sources other than those authorised by the Oil Companies;
- o) "unauthorised sale" means sale of products by a dealer or consumer to another dealer or consumer or to any other person in contravention of the directive issued for the purpose by the State Government or Oil Companies or in contravention of any provision of this order;
- p) "Unauthorised possession" means keeping of Motor Spirit or High Speed Diesel, in contravention of the provisions of this order, or keeping any petroleum product or its mixture, which can be used for adulteration, under the control of the dealer or any other person without valid sales documents issued by the concerned Oil Company;
- q) "Over charging" means, sale of Motor Spirit or High Speed Diesel by a dealer at a price higher than that authorised by an "Oil company" from which the Dealer has purchased the product;



- r) "Sale of offspecification product" means, sale of Motor Spirit or High Speed Diesel by dealer of quality not conforming to Bureau of Indian Standards specifications, No. IS 2796 and IS 1460 for Motor Spirit & High Speed Diesel or also not in conformity with Schedule I.

### 3. Product Supply and Transportation :-

- (i) The Product from the supply point shall be transported by the transporter in a container or tank truck certified fit by the concerned authorities (Explosives and Transport authorities and oil company) to carry the product with accurate calibration as certified by the Weights and Measures authority and supported by delivery documents and deliver the same to the storage or dispensing point in the same condition as delivered to him by the originating supply point both in respect of quality and quantity.
- (ii) The transporter shall ensure that the product is transported only in containers or tank trucks which are properly sealed.
- (iii) The dealer/consumer shall inspect such containers or tank trucks in which he receives the product to ensure, -
- a) that the container or tank truck, including the seals are not in any manner tampered with;
  - b) that the quantity and quality of the products are as per delivery documents issued by the Oil Companies and the quality of the product conforms to the requirements indicated in Schedule I. For this purpose, the dealer/consumer shall maintain a record of densities as indicated in Schedule I and keep samples of product or take such other measures, as prescribed by Oil Company.
- (iv) No person other than the Dealer or Oil Company or their agent shall be engaged in the business of selling Product from underground storage tank.
- (v) No person shall sell or agree to sell any petroleum product or its mixture other than Motor spirit or High Speed Diesel, as specified in schedule I, in any form, under any name, brand or nomenclature, which can be and is meant to be used as fuel in Spark Ignition Engines or Compression Ignition Engines.
- (vi) No dealer, transporter consumer or any other person shall indulge in any manner in any of the malpractices listed in Clause 2 (e) above.
- (vii) The delivery or sale of motor spirit and high speed diesel oil shall be made by dealers of Oil Companies only from authorised retail pump outlets.

**4. Power of Search and Seizure --**

- (A) Any Gazetted Officer of the Central or State Government or any Police Officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police (DSP) duly authorised; by general or special order by the Central Government or State Government as the case may be or any Officer of the concerned Oil Company not below the rank of Sales Officer may, with a view to securing compliance with the provisions of this Order, or for the purpose of satisfying himself that this order or any order made thereunder has been complied with-
- (i) enter and search any place or premises being made use of or suspected to be made use by a dealer, transporter, consumer or any other person who is an employee or agent of such dealer / transporter / consumer or any other person, with respect to which there is reason to believe that the provisions of this order have been / are being or are about to be contravened.
  - (ii) stop and search any person or vehicle or receptacle used or intended to be used for the movement of the product.
  - (iii) inspect any book of accounts or other documents or any stock of the product used or suspected to be used in the business of the dealer, transporter, consumer or any other person suspected to be an employee or agent of the dealer, transporter or consumer.
  - (iv) take samples of the product and / or seize any of the stocks of the product which the officer has reason to believe has been or is being or is about to be used in contravention of this order and hereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of stocks/ items so seized before the Collector having jurisdiction under the provision of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and for their safe custody pending such production.
- (B) While exercising the power of seizure provided under clause A(iv) the authorised officer shall record in writing the reasons for doing so, a copy of which shall be given to the dealer, transporter, consumer or any other concerned person.
- (C) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to searches and seizures under this Order.

**5. Sampling of Product -**

- (1) The Officer authorised in clause 4 shall draw of the sample from the tank, nozzle, vehicle or receptacle as the case may be to check whether density and / or other parameters of the product conform to requirements indicated in Schedule I.

- (2) The Officer authorised in clause 4 shall take, sign and seal six samples of 1 litre each of the Motor Spirit or 3 of 1 lit. each of the High Speed Diesel. 2 samples of Motor Spirit ( or one of High Speed Diesel ) would be given to the Dealer or transporter or concerned person under acknowledgement with instruction to preserve the sample in his safe custody till the testing or investigations are completed, 2 samples of MS (and / or one of HSD), would be kept by the concerned Oil Company or department and the remaining two samples of MS (and/or one of HSD) would be used for laboratory analysis.
- (3) Samples shall be taken in clean glass or aluminium containers. Plastic Containers shall not be used for drawing samples.
- (4) The sample label should be jointly signed by the officer who has drawn the sample, and the dealer or transporter or concerned person or his representative and the label shall contain information as regards the product, name of retail outlet, quantity of sample, date, name and signature of the officer, name and signature of the dealer or transporter or concerned person or his representative.
- (5) The authorised officer shall send the sample of the product taken under sub-clause (2) within 10 days to any of the laboratories mentioned in Schedule III appended to this Order or such other laboratory as notified by the Government in the Official Gazette for this purpose, for analysis with a view to checking whether the density and / or other parameters of the product conform to requirements indicated in Schedule I.

#### 6. Power of Central Governments to issue directions --

The Central Government may, from time to time, by a general or special order issue to any dealer, transporter or consumer or any other person, such directions as it considers necessary regarding storage, sale, transportation and disposal of motor spirit or high speed diesel and upon the issue of such directions, such dealer, transporter or consumer shall be bound to comply therewith.

#### 7. Provision of the order to prevail over previous orders of State Governments, etc-

The provisions of this Order shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any Order made by a State Government or by an Officer of such State Government before the commencement of this Order except as respects anything done, or omitted to be done thereunder before such commencement.

#### 8. Repeal and Saving:

- (1) The motor spirit and high speed diesel (Prevention of malpractices in Supply and Distribution) Order, 1990 is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Motor Spirit and High Speed Diesel (Prevention of Malpractices in Supply and Distribution) Order 1990 shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Order, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Order.

[F. No. P-11013/1/97-Dist.]

DEVIDAYAL, Addl. Secy.

**IS 2796 : 1995**  
**SCHEDULE - I**  
(See Clause 2(a))

**Table 1 : Requirements for Motor Gasoline**  
(Clauses 4.1.1., 4.3 and 4.4.1)

Sl. No.	Characteristic	Requirements			Method of Test, Ref. to	
		87 Octane Unleaded	87 Octane Leaded	93 Octane Leaded	P : of IS 1448	Annex of This Standard
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	Colour, Visual	Colourless	Orange	Red		-
ii)	Copper Strip corrosion for 3 h at 50°C	←—Not more than No. 1 —→			[P:15]	-
iii)	Density at 15°C, Kg/m <sup>3</sup>	←—Not limited but to be reported —→			[P:16]	-
iv)	Distillation				[P:18]	-
	a) Initial boiling point	←—Not limited but to be reported —→				
	b) Recovery up to 70°C (E 70), percent by volume	10-45	10-45	10-45		
	c) Recovery up to 100°C (E 100), percent by volume	40-70	40-70	40-70		
	d) Recovery up to 180°C (E 180), percent by volume, Min	90	90	90		
	e) Final boiling point, Max	215 °C	215 °C	215 °C		
	f) Residue, percent by volume, Max	2	2	2		
v)	Octane Requirements:					
	a) Research Octane number, Min	87	87	93	[P:27]	-
	Or					
	b) Anti-knock index, (RON+MON)/2, Min	82	82	88	[P:26] and [P:27]	-
vi)	Potential gum <sup>1</sup> , g/m <sup>3</sup> , Max	50	50	50	-	2
vii)	Existent gum, g/m <sup>3</sup> , Max	40	40	40	[P:29](Air jet solvent washed)	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
viii)	Sulphur, total, percent by mass, Max	0.20	0.20	0.20	[P:34]	-
ix)	Lead content (as Pb) <sup>3</sup> , g/l, Max	0.013	0.56	0.80	[P:38] <sup>4</sup> or [P:82]	-
x)	Reid vapour pressure, (RVP) at 38°C, kPa	35-70	35-70	35-70	[P:39] <sup>5</sup>	-
xi)	Water tolerance of gasoline-alcohol blends, temperature for phase separation, °C, Max					Annex B
	a) Summer <sup>6</sup>	10	10	10		
	b) Winter <sup>7</sup>	0	0	0		
xii)	Vapour lock index (VLI) (VLI=10 RVP + 7 E 70),Max					
	a) Summer <sup>6</sup>	750	750	750		
	b) Other months	950	950	950		

<sup>1</sup> To be carried out at the refinery end only, and the limit for the test is meant for products prior to addition of multifunctional additives, if used. However the use of multifunctional additives does not exempt the manufacturer from meeting this requirement prior to addition of additives.

<sup>2</sup> Under preparation. Till such time ASTM D 873-88 (4 hour duration) shall be followed. This test shall be carried out on the gasoline before addition of multifunctional detergent/dispersant additives, as these may interfere with the test.

<sup>3</sup> Lead content will be phased out as per the government directives as and when they are notified and the requirements of lead content shall apply accordingly.

<sup>4</sup> For unleaded gasoline test method ASTM D 5058/IP 352 shall be followed.

<sup>5</sup> For the gasoline-alcohol blends, the dry vapour test method given in Annex A shall be followed.

<sup>6</sup> From May to July in central and northern plains of India.

<sup>7</sup> In winter it is expected that temperature may be lower than 0°C in the northern hilly region and hence phase separation shall not take place till -10°C

**AMENDMENT NO.1 MARCH 1997 TO IS 2796:1995 MOTOR GASOLINES - SPECIFICATION (Second Revision)**

\* [page 3, Table 1, Sl. No.(viii), col 3]—Substitute '0.15' for '0.20'

IS 1460 : 1995

**Table 1 Requirements for Diesel Fuels  
(Clause 4.2)**

Sl. No.	Characteristics	Requirements HSD	Method of Test, Ref to
(1)	(2)	(3)	(4)
	Acidity, inorganic	Nil	P:2
	Acidity, total, mg of KOH/g. Max	0.30	P:2
	Ash, percent by mass, Max	0.01	P:4
	Carbon residue (Ramsbottom) on 10 percent residue, percent by mass, Max	0.35 <sup>1)</sup>	P:8
	Cetane number <sup>2)</sup> , Min	45 <sup>3)</sup>	P:9
	Pour point <sup>3)</sup> , Max	6°C for winter and 18°C for summer <sup>4)</sup>	P:10
	Copper strip corrosion for 3 h at 100°C	Not worse than No. 1	P:15
	Distillation, 90 percent volume recovery at °C, Max	366	P:18
	Flash point <sup>5)</sup> :		
	a) Abel, °C, Min	32	P:20
	b) Pensky-Martens, °C, Min	-	P:21
	Kinematic viscosity, cSt, at 40°C	1.8 to 5.0	P:25
	Sediments, percent by mass, Max	0.05	P:30
	Density at 15°C, kg/m <sup>3</sup>	820-880	P:32
	Total sulphur <sup>6)</sup> , percent by mass, Max	1.0	P:33
	Water content, percent by volume, Max	0.05	P:40
	Cold Filter Plugging Point (CFPP) <sup>7)</sup> , Max	9°C for winter and 21°C for summer <sup>4)</sup>	P:110
	Total sediments, mg per 100 ml <sup>1)</sup> , Max	1.6	-

- 1) This limit is applicable prior to addition of cetane number improvers, if used. In case a value exceeding the limit is obtained on finished fuels in the market, ASTM D 4046 shall be used to establish the presence of nitrate containing cetane number improvers. In such case the present limit for carbon residue cannot be applied. However, the use of cetane number improvers does not exempt the manufacturer from meeting this requirement prior to the addition of additives.
- 2) When a test engine is not available or when the quantity of the sample is too small for an engine rating 'Calculated Cetane Index by Four Variable Equation' by ASTM D 4737 may be used for estimation of cetane number. The error in prediction of the 'Calculated Cetane Index' by this method will be less than  $\pm 2$  Cetane Number for fuels having Cetane Number within the range of 32 to 56. It may be noted that this method is not applicable to

pure hydrocarbons or fuels containing cetane improvers or fuels derived from coal. For arbitration purposes, the direct determination of cetane number by means of the standardized engine test shall be used unless the buyer and the seller agree otherwise.

- 3) Subject to agreement between the purchaser and the supplier, a lower or higher maximum pour point and CFPP may be required for special applications and geographical areas.
- 4) Winter shall be the period from November to February (both months inclusive) and rest of the months of the year shall be called as summer.
- 5) Diesel fuel for naval applications including Merchant navy and fishing vessels of 12 metres and above in length shall have a flash point of 66°C Min, when tested by the method prescribed in IS 1448 [ P:21 ] : 1970.
- 6) Total sulphur content for HSD shall stand automatically revised as per the following schedule; although efforts will be made by the oil companies to reduce sulphur content below 1.0 percent by mass even before 1998:

	1998	2000
Total sulphur content, Percent by mass, Max	0.50	0.25

- 7) This test shall be carried out only at the refinery or manufacturer's end and the limit for this test is meant for products prior to addition of multi-functional additives if used. However, the use of multi-functional additives does not exempt the manufacturer from meeting this requirement prior to the addition of additives.

**AMENDMENT NO. 1 MARCH 1997  
TO  
IS 1460 : 1995 DIESEL FUELS – SPECIFICATION  
(Third Revision)**

(Page-1, clause 2) – Insert "[ P:16 ] : 1990 Density of crude petroleum and liquid petroleum products by hydrometer method (third revision)' after '[ P:15 ] : 1976'.

[ Page 3, Table 1, Sl No. (v), col 3] – Substitute '45<sup>8)</sup>' for '45' and insert following foot-note after foot-note <sup>7)</sup> :

- <sup>8)</sup> For diesel fuel processed from Assam crude, the value of 42 minimum shall apply till 31 December 1999.'

